

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 138/2012

संस्थापन दिनांक 29.03.2012

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड
म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1-बृजेश कुशवाह पुत्र रामौतारसिंह कुशवाह उम्र 28
साल, निवासी ब्लॉक कॉलोनी चतुर्वेदी नगर भिण्ड
जिला भिण्ड

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध विचारणीय धारा 279, 337, 427 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 09.02.12 को शाम 05:00 बजे करीब एटलस तिराहा चौहान क्रैन के सामने भिण्ड ग्वालियर आम रोड पर वाहन ट्रक क्रमांक यू0पी0-75-एच.8940 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा मैक्स गाड़ी क्रमांक एम.पी.-53-बी-0722 को टक्कर मारकर उसके बैठे उत्तम अ0सा03, धर्मेन्द्र अ0सा04, दिलीप अ0सा02, उदल अ0सा01 एवं गंभीर अ0सा05 को उपहति कारित की तथा मैक्स गाड़ी में टक्कर मारकर उसमें करीब दस हजार रुपये का नुकसान कारित कर रिष्टि कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.02.12 को फरियादी उदलसिंह अ0सा01 मैक्स गाड़ी क्रमांक एम.पी.-53-बी-0722 से ग्राम सीताराम की लावन से बारात करके अपने गांव चक बेहटा रामपुरा वापिस जा रहे थे जैसे वे समय करीब 05:00 एटलस तिराहे चौहान क्रैन मालनपुर आये तो ग्वालियर तरफ से ट्रक क्रमांक यू0पी0-75-एच.8940 का चालक ट्रक को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और सामने से उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी

जिससे फरियादी उदलसिंह अ0सा01 को व गाड़ी में बैठे धर्मेन्द्रसिंह अ0सा04, दिलीप अ0सा02, गंभीर अ0सा05, उत्तम अ0सा03, रघुनन्दन, के सिर, मुंह व शरीर में जगह-जगह चोटें आईं तथा ट्रक वाला ट्रक को भिण्ड तरफ भगाकर ले गया। तत्पश्चात फरियादी उदलसिंह अ0सा01 की रिपोर्ट पर थाना मालनपुर में अप0क्र0 18/12 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियां अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-

1. क्या घटना दिनांक 09.02.12 को शाम 05:00 बजे करीब एटलस तिराहा चौहान केन के सामने भिण्ड ग्वालियर आम रोड पर वाहन ट्रक क्रमांक यू0पी0-75-एच.8940 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मैक्स गाड़ी क्रमांक एम.पी.-53-बी-0722 को टक्कर मारकर उसके बैठे उत्तम अ0सा03, धर्मेन्द्र अ0सा04, दिलीप अ0सा02, उदल अ0सा01 एवं गंभीर अ0सा05 को उपहति कारित की ?

3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मैक्स गाड़ी में टक्कर मारकर उसमें करीब दस हजार रुपये का नुकसान कारित कर रिष्टि कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का संकारण निष्कर्ष //

5. उदल अ0सा01 ने कथन किया है कि दिनांक 19.08.14 से डेढ़ वर्ष पहले वह अपने गांव से सीताराम की लावन बारात में गया था वह, उत्तम अ0सा03, दिलीप अ0सा02, धर्मेन्द्र अ0सा04, रघुनन्दन व अन्य लोग थे। जब वह सीतापुर की लावन से अपने गांव टाटा सूमो से आ रहे थे तब मालनपुर पर ग्वालियर की तरफ से एक ट्रक क्रमांक यू0पी0-75-एच.8940 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी जिससे धर्मेन्द्र अ0सा04, दिलीप अ0सा02, गंभीर अ0सा05, उत्तम अ0सा03, रघुनन्दन व उसे सीने व सिर में चोटें आईं। उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी-1 थाने पर की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका बयान लेकर नक्शामौका प्र0पी-2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने मुख्यपरीक्षण में ट्रक का नंबर क्रमांक यू0पी0-75-एच.8940 बताया है लेकिन प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसे ट्रक का नंबर याद नहीं है और यह भी कथन किया है कि उसने डाइवर को नहीं देखा था। अतः फरियादी उदल अ0सा01 ने दुर्घटना के समय आरोपी द्वारा ही वाहन चलाये जाने का कथन नहीं किया है तथा दुर्घटना में प्रयुक्त वाहन क्रमांक यू0पी0-75-एच.8940 का रजिस्ट्रेशन क्रमांक के संबंध में दी गयी न्यायालयीन साक्ष्य भी प्रतिपरीक्षण में खण्डित की है।

6. दिलीप अ0सा02 ने मुख्यपरीक्षण में फरियादी उदल अ0सा01 के कथन का समर्थन कर कथन किया है कि मालनपुर पर चौहान केन के पास ग्वालियर से आ रहे ट्रक ने लहराते हुए आकर उनकी जीप में टक्कर मार दी थी और भिण्ड की तरफ चला गया। वह ट्रक चालक को नहीं देख पाया था। ट्रक का नंबर 8940 उसे याद है पूरा याद नहीं है दुर्घटना में उसे सिर व चेहरे में चोट आई थी उदल अ0सा01, उत्तम अ0सा03, रघुनन्दन को चोटें आई थीं। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि वाहन का नंबर उसे याद नहीं है। उसके अधिवक्ता ने उसे नंबर बताया है। यह भी बताने में असमर्थता बतायी है कि टक्कर जीप ने मारी या ट्रक ने मारी। अतः इस साक्षी ने भी दुर्घटना के समय आरोपी द्वारा ही वाहन चलाये जाने का कथन नहीं किया है पर वाहन क्रमांक यू0पी0-75-एच.8940 का पूर्ण नंबर न बताकर मात्र 8940 अपने अधिवक्ता द्वारा बताये जाने पर न्यायालयीन साक्ष्य में वर्णित किया जाना बताया है। अतः उसके कथन से वाहन क्रमांक यू0पी0-75-एच.8940 से दुर्घटना कारित होना स्पष्ट नहीं होती है।
7. उत्तम अ0सा03 ने भी मुख्यपरीक्षण में फरियादी उदल अ0सा01 के कथन का समर्थन कर बताया है कि दिनांक 09.02.12 को शाम 5 बजे एटलस चौराहे के पास केन के सामने मालनपुर पर ग्वालियर की ओर से आ रहे ट्रक क्रमांक यू0पी0-75-एच.8940 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर उनकी मार्शल गाड़ी में टक्कर मार दी थी जिससे उसके सिर व माथे में व गंभीर अ0सा05, दिलीप अ0सा02, धर्मेन्द्र अ0सा04, उदल अ0सा01 व रघुनन्दन को चोटें आई थीं। इस साक्षी ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि उसने डाइवर को शक्ल से पहचान लिया था जो भिण्ड की तरफ गाड़ी लेकर भाग गया था लेकिन प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में बताया है कि वह ट्रक चालक को नहीं देख पाया था और सामने आने पर भी नहीं पहचान सकता है। अतः प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में दिए कथन का खण्डन किया है कि वह दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक को पहचानता है। वाहन क्रमांक यू0पी0-75-एच.8940 के संबंध में प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में इस साक्षी ने कथन किया है कि वह अंग्रेजी के शब्द नहीं जानता है। उसने कथन प्र0डी-1 में भी यूपीएच बताये जाने से इंकार किया है। अतः जबकि उक्त साक्षी यूपीएच ही नहीं समझता है ना ही उसने पुलिस कथन प्र0डी-1 में उक्त बात बतायी है तब न्यायालयीन साक्ष्य में वाहन क्रमांक यू0पी0-75-एच.8940 किस आधार पर बताया यह स्पष्ट न होने के कारण दुर्घटना वाहन क्रमांक यू0पी0-75-एच.8940 द्वारा ही कारित किया जाना इस साक्षी के कथन से विश्वसनीय रूप से प्रमाणित नहीं होता है।
8. धर्मेन्द्र अ0सा04 व गंभीर अ0सा05 ने भी मुख्यपरीक्षण में समरूप कथन किए हैं कि वर्ष 2011 में चौहान प्याउ मालनपुर के सामने एक फोर व्हीलर गाड़ी में वह बारात से आ रहे थे तब शाम 5 बजे एल.पी. गाड़ी क्रमांक यू0पी0-75-एच. 8940 जो ग्वालियर से तेजी से चलकर आ रही थी ने उनकी गाड़ी में साइड से टक्कर मार दी थी जिससे उनकी छाती में चोट आई थी वाहन में गंभीर अ0सा05, उदल अ0सा01, दिलीप अ0सा02, उत्तम अ0सा03 व अन्य लोग भी बैठे हुए थे लेकिन उन्हें चोट आई अथवा नहीं उसे नहीं मालूम एलपी गाड़ी को कौन चला रहा था वह नहीं देख पाया व सामने आने पर भी नहीं पहचान सकता। उक्त साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह स्वयं जिस गाड़ी में बैठकर आ रहे थे उसका नंबर नहीं बता सकते। अतः उक्त दोनों साक्षीगण ने भी दुर्घटना के समय

वाहन क्रमांक यू0पी0-75-एच.8940 आरोपी द्वारा ही उपेक्षापूर्वक परिचालित किए जाने का कथन नहीं किया है।

9. प्रकरण में अभियोजन द्वारा उपरोक्त आहत साक्षीगण का प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है लेकिन किसी भी साक्षी द्वारा दुर्घटना के समय आरोपी द्वारा ही वाहन परिचालित किए जाने का कथन नहीं किया है। धर्मेन्द्र अ0सा04 व गंभीर अ0सा05 के अतिरिक्त अन्य कोई भी साक्षी दुर्घटना वाहन क्रमांक यू0पी0-75-एच.8940 से ही कारित होने के संबंध में विश्वसनीय कथन नहीं दे सका है। जबकि उक्त पांचों ही साक्षीगण घटना के समय साथ ही होना वर्णित किए गए हैं धर्मेन्द्र अ0सा04 व गंभीर अ0सा05 को स्वयं के वाहन का ही नंबर ज्ञात नहीं है। अतः अभियोजित वाहन का नंबर उन्हें कैसे ज्ञात हुआ यह स्पष्ट नहीं होता है जबकि उन्हीं के साथ अन्य आहत साक्षीगण वाहन का नंबर बताने में असमर्थ रहे हैं और धर्मेन्द्र अ0सा04 व गंभीर अ0सा05 को स्वयं के वाहन का ही नंबर स्मरण नहीं है। उक्त दोनों साक्षीगण ने दुर्घटना कारित करने वाली गाड़ी ट्रक न होकर अन्य एल.पी. गाड़ी होना बताया है जबकि संपूर्ण अभियोजन मामले में ट्रक से दुर्घटना होना उल्लिखित है। अतः वस्तुतः उक्त दोनों साक्षीगण ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को देखा यह विश्वसनीय रूप से प्रमाणित नहीं होता है जिससे वाहन क्रमांक यू0पी0-75-एच.8940 के संबंध में उनके द्वारा दी गयी साक्ष्य भी निर्भर रहने योग्य प्रतीत नहीं होती है।
10. अतः प्रत्यक्ष साक्षीगण के कथन से घटना के समय आरोपी द्वारा वाहन परिचालित किया जाना प्रमाणित नहीं होता है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य से दुर्घटना वाहन क्रमांक यू0पी0-75-एच.8940 से कारित किया जाना भी प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 09.02.12 को शाम 05:00 बजे करीब एटलस तिराहा चौहान केन के सामने भिण्ड ग्वालियर आम रोड पर वाहन ट्रक क्रमांक यू0पी0-75-एच.8940 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा मैक्स गाड़ी क्रमांक एम.पी.-53-बी-0722 को टक्कर मारकर उसके बैठे उत्तम अ0सा03, धर्मेन्द्र अ0सा04, दिलीप अ0सा02, उदल अ0सा01 एवं गंभीर अ0सा05 को उपहति कारित की तथा मैक्स गाड़ी में टक्कर मारकर उसमें करीब दस हजार रुपये का नुकसान कारित कर रिष्टि कारित की।
11. परिणामतः आरोपी को धारा 279, 337, 427 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
12. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
13. प्रकरण में जप्त वाहन क्रमांक यू0पी0-75-एच.8940 रामअवतार की सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित समझा जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0